सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2412/78] केन्द्रीय सूचना सेवा के पदों और समूह 'ग' और 'घ' के पदों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

(ख) से (घ). जैसा कि विवरण के कालम 5 में दी गई सूचना से पता चलेगा, कुछ नियुक्तियों को न्यायालय मामलों के निपटान होने तक तदर्थ माना जा रहा है । कुछ पदों के मामले में, नियमित नियुक्तियां करने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें बुलाने के लिए कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं । शेष मामलों में, विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें हो चुकी है और नियमित नियुक्तियां शीघ्र ही किए जाने की उम्मीद है या मामले भर्ती नियमों में संशोधन होने तक लम्बित हैं । जब कि इन नियुक्तियों को नियमित आधार पर यथा शीघ्र करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं तो भी कोई समय सीमा निश्चित करना संभव नहीं है ।

वर्गीज समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्विति

588. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्गीज समिति के प्रतिवेदन पर निकट भविष्य में कार्यवाही की जायगी;

(ख) क्या वर्गीज समिति ने आकाशवाणी में एक ही संवर्ग की सिफारिश की है जिससे अनुबन्ध पर काम करने वाले प्रोड्यूसर और प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तथा ए०एस० डी० में जो खींचातानी रहती है वह दूर हो सके ;

(ग) यदि हां, तो नियमित अधिकारियों यथा केन्द्र निदेशक आदि की विभागीय पदोन्नतियां करने के क्या कारण हैं ;

(घ) नए पद बना कर प्रोड्यूसरों को, जो विशेषज्ञ होते हैं, विभागीय पदोन्नतियां न देने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार नियमित अधिकारियों की विभागीय पदोन्नतियां रोक कर प्रोड्यूसरों को तत्काल पदोन्नतियां देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) से (ङ). वर्गीज समिति की रिपोर्ट, जो सरकार के विचाराधीन है, में पांच अलग संवर्गों की सिफारिश की गई है और उस में अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया गया है कि स्टाफ आर्टिस्ट प्रस्तावित 'आकाश भारती' के नियमित कर्मचारी बनाए जांए जब तक उन निर्णयों, जो वर्गीज समिति की रिपोर्ट पर लिए जाएं, की रोशनी में वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक खाली स्थानों को वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार भरा जाना है । प्रोड्यूसरों को मात्र विभागीय पदोन्नतियां देने के लिए नए पदों का सृजन करना संभव नहीं होगा । नियमित वरिष्ठ प्रशासनिक पदों को खाली रखना भी काम के हित में नहीं होगा । किसी भी स्थिति में, नियमित अधिकारियों की पदोन्नतियो को रोकने मात्र से प्रोड्यूसरों को पदोन्नतियां नहीं मिल सकेंगी ।